संख्या-1098/78-1-2014-165आई0टी0/2014

प्रेषक,

जीवेश नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0 1 लखनऊ: दिनांक 21 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2014

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-4: में ई0एम0सी0 ईकाईयो हेतु अनुमन्य प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किये जाने तथा राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना एवं राज्य में इलेक्ट्रिानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनतर्गत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने का संकल्प लिया गया है। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 के अध्याय-4 के अन्तर्गत प्रस्तर-4.6 से 4.11 में ई0एम0सी0 इकाईयों को निम्न प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान निहित हैः-

अध्याय 4: प्रोत्साहन

राज्य में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा इन ईएमसी में एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। अधोलिखित प्रोत्साहन प्रथम तीन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को अनुमन्य होंगे, जिसे पुनः इस नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति के निर्णयानुसार स्थापित होने वाले अन्य इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

प्रस्तर- 4.6 भूमि हेतु प्राविधान

इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, एस.पी.वी. अथवा EMC के अन्दर स्थित कम्पनियों को सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

प्रस्तर-4.7 ई.एम.सी. अवस्थापना सुविधायें

ई.एम.सी. की स्थापना हेतु सामान्य सुविधाओं (सड़क,बिजली, जल, ई.टी.पी., परीक्षण सुविधाओं, सामाजिक अवस्थापना इत्यादि) के विकास पर हुए व्यय के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी नीति 2012 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपादान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह उपादान राज्य में प्रथम तीन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हेतु प्रदान किया जायेगा।।

टिप्पणी: उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहन ई.एम.सी. में स्थापित होने वाली ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (recycling units) को भी अनुमन्य होंगे।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में परिचालनरत इकाइयों, जो ई.एम.सी. से बाहर अपना कार्यक्षेत्र विस्तारित करने की इच्छुक हैं, को निम्न प्रोत्साहन अनुमन्य हैं-

प्रस्तर-4.8 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान

- वर्तमान ईएसडीएम इकाइयों द्वारा तीन वर्ष की अवधि में विद्यमान क्षमता के 25 प्रतिशत या अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश पर, नई इकाइयों (ई.एम.सी. में) के लिए अनुमन्य प्रोत्साहनों के 50 प्रतिशत के समतुल्य औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान।
- यह उपादान प्रथम 10 इकाइयों को ही,-उनके व्यवसायिक कार्यचालन की तिथि के आधार पर विचार के आधार पर, अनुमन्य होगा।

प्रस्तर-4.9 प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन

- रू 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ESDM इकाइयों को उपरोक्त उल्लिखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जायेगा।। यह विशेष प्रोत्साहन भूमि तथा ऊर्जा में छूट के रूप में होगा, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

- फैब इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों की स्थापना भी इस प्रकरण आधारित (केस-टू-केस) प्रोत्साहन के अन्तर्गत सम्मिलित है।

प्रस्तर 4.10 अन्य हितलाभ

- इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु वांछनीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ जोड़ा जाना जिससे कि योजना के लाभ सुपात्रों को प्राप्त हो सकें।
- इस योजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों से ई.एस.डी.एम. क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास।
- सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य की अनुमति
- स्टार्ट-अप/उद्यमियों/अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु पी.पी.पी. आधार पर प्रत्येक ई.एम.सी. में 2 एकड़ क्षेत्र का इन्क्यूबेटर सेन्टर (वार्म शेल) के रूप में विकास
- पी.पी.पी. आधार पर प्रत्येक ई.एम.सी. में 2-3 एकड़ क्षेत्र मिनी टूलरूम (**MTR**) की स्थापना, जिसे सम्बन्धित उत्पादों के लिए भी विस्तृत किया जायेगा।

नोट - किसी भी इकाई को सभी श्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें कम्पनी द्वारा किये गये स्थिर निवेश (**fixed capital investment**) के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे

प्रस्तर 4.11 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 की यू.एस.पी.
Up-Uninterrupted Power

विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति हेतु संरक्षित-भार, निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ई.एम.सी. एस.पी.वी. के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा जिससे विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। इसके क्रियान्वयन हेतु, संरक्षित भार का दर्जा दिये जाने के लिए, अतिरिक्त फिक्स्ड चार्जेस, को वहन करने का दायित्व सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का होगा। प्रबन्ध निदेशक (डीवीवीएनएल/एमवीवीएनएल/पीवीवीएनएल/पीयूवीवीएनएल) ई.एम.सी. के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

2- अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1098 (1)/78-1-2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4 निदेशक, आईआईएम, लखनऊ।
5 निदेशक, आईआईटी, कानपुर।
6 निदेशक, आईआईआईटी, इलाहाबाद।
7 निदेशक, आईटी-बीएचयू, वाराणसी।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपी डेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 एवं श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
11- संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12वीं मंजिल एवेन्यू, लखनऊ।
12 गाडेफाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।